न्यायालय जिला कलक्टर नागौर
न० पालिका स्थगन प्रा० पत्र सं० 98/2004
तहसीलदार नागौर बनाम शारदा वगै०

A3/12

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
8.8.16	पत्रावली पेश हुई। श्रीमान् संभागीय आयुक्त महोदय अजमेर द्वारा मुकदमा नम्बर अपील अपील 90बी–21/06 शारदा बनाम सरकार के क्रम में इस प्रकरण की मूल निगरानी पत्रावली संख्या 332/2004 तहसीलदार नागौर बनाम शारदा में इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 29.11.2006 के सन्दर्भ में चाही जाने पर इस न्यायालय के पत्रांक 386 दिनांक 03.02.2007 से श्रीमान् संभागीय आयुक्त महोदय, अजमेर को भिजवाई हुई है और यह स्थगन पत्रावली उक्त मूल पत्रावली संख्या 332/2004 के इन्तजार में इस न्यायालय में विचाराधीन है। स्वायत शासन विभाग राजस्थान, जयपुर की अधिसूचना क्रमांक प.8 (ग) (8) नियम/डी.एल.बी./15/5843– 6274 दिनांक 10.06.2016 के अनुसार राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 73(2) के अधीन सम्पति के अन्तरण और संविधा से संबंधित प्रकरणों की सुनवाई का निस्तारण करने हेतु श्रीमान् संभागीय आयुक्त महोदय, को प्राधिकृत किये जाने से, इस प्रकरण में सुनवाई का क्षेत्राधिकार श्रीमान् संभागीय आयुक्त महोदय, अजमेर को होने से मूल पत्रावली श्रीमान् संभागीय आयुक्त महोदय को उपर्युक्तानुसार भिजवाई हुई है। अतः यह स्थगन पत्रावली भी श्रीमान् संभागीय आयुक्त महोदय अजमेर को भिजवाई जावें। पत्रावली इस न्यायालय से फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। (दिनेश कुमार यादव) जिला कलक्टर, नागौर	

Scanned by CamScanner